उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ–226001
फैक्स : – 0522–2615526, 2628841, 2274578

पत्र सं0–332एलडब्लूओ/12–19एलडब्लूओ/97–10 दिनांकः 11 दिसम्बर,2012

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
2. समस्त सेवा प्रबन्धक,
3. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,
   उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों के साथ कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक वार्ता किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि उ0प्र0 परिवहन निगम सार्वजनिक क्षेत्र का एक विशाल कर्मचारी प्रधान एवं आवश्यक जनसेवी प्रतिष्ठान है। यात्रियों को परिवहन हेतु सुव्यवस्थित बस–सेवाएं प्रदान करने एवं निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए, इस संस्थान के कर्मचारियों को अधिकाधिक संतुष्ट होकर पूर्ण मनोयोग, निष्ठा व लगन से निगम के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों एवं उचित औद्योगिक वातावरण का बहुत महत्व है क्योंकि इसमें कार्य करने वाले कार्मिकों के सार्थक एवं बहुमूल्य सहयोग से ही परिवहन निगम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है।

उपरोक्त परिदृश्य में, यह अत्यंत आवश्यक है कि कर्मचारियों एवं उनके संगठन के पदाधिकारियों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखा जाये तथा समय–समय पर उनसे वार्ता कर, इंगित किये जा रहे उनकी वास्तविक एवं मौलिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहकर, सम्यक एवं सकारात्मक ढंग से विचार कर, उन्हें निरन्तर दूर करते रहने की तत्परता दिखाई जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में, निगम मुख्यालय से समय–समय पर आवश्यक निर्देश एवं मार्ग दर्शन दिये जाते रहे हैं जिनमें (1)परिपत्र सं0–192एलडब्ल्यूओ/84–10एलडब्ल्यूओ/84 दिनांक 13.12.1984(2)परिपत्र सं0–109एलडब्ल्यूओ/87 दिनांक 02.03.1987,(3) परिपत्र सं0–79डब्ल्यूओ/19एलडब्ल्यूओ/87/89, दिनांक 17.01.1989 (4)परिपत्र सं0–149 एलडब्ल्यूओ/91 दिनांक 27.08.1991 एवं (5) परिपत्र सं0–23 एलडब्ल्यूओ/93/19एलडब्ल्यूओ/93 दिनांक 11.02.1993 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है तथा विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कतिपय क्षेत्रों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है। आपने यह अनुभव किया होगा कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की स्थानीय शाखाओं की स्थानीय स्तर की समस्याओं, जो अधिकांशतः आपके ही आधार क्षेत्र को होती है, के निवाराणार्थ आपको आन्दोलन की नोटिस दिये जाते हैं और कहीं–कहीं आन्दोलन हो भी जाते हैं। उक्त के दृष्टिगत, निगम में अपेक्षित औद्योगिक शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से, एक निर्धारित अन्तराल पर, विभिन्न श्रमिक संगठनों से वार्ता कर, उनकी यथोचित मांगों/समस्याओं का निराकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

विभिन्न कर्मचारी संगठनों की शाखाओं द्वारा, जो मांगपत्र प्रस्तुत किये जाते हैं, उनके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उनमें कर्मचारियों की अधिकांश समस्याएं, कर्मचारियों की वार्षिक वेतन–वृद्धि, अवकाश स्वीकृति, उच्चतर वेतनमानों की स्वीकृति, अवशेष देयकों का भुगतान, प्रोन्नति, वरिष्ठता सूचियों का प्रकाशन, प्रत्यावेदनों का सीमित समय में निस्तारण, सेवानैवृत्तिक देयकों का भुगतान इत्यादि सम्मिलित होते हैं तथा कुछ मांगें निगम के बस संचालन, बस अनुरक्षण तथा बेहतर प्रतिफलों की प्राप्ति से ही सम्बन्धित होते हैं। ये मांगे ऐसी होती हैं जो न केवल आपके ही अधिकार क्षेत्र के ही होते हैं अपितु इनका समय रहते अथवा देय दिनांक को ही निस्तारित कर देना सम्बन्धित प्रशासनिक कार्यालयों का रूटिन कार्य मात्र होता है। उक्त मामलों को कर्मचारियों के लिए समस्या बना देना और इनके निवारण के लिए कर्मचारी संगठनों को मांग पत्र के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर देना इस बात का द्योतक है निगम के अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को अनदेखा कर रहें हैं।

Downloaded from www.upsrtc.com

निगम मुख्यालय से इस आशय के स्पष्ट आदेश दिये गये थे कि डिपो स्तर पर कर्मचारी संगठनो से प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को तथा प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को, संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर ली जाये और इन वार्ताओं में अपने–अपने स्तर की समस्याओं का कर्मचारी प्रतिनिधियों से विचार विमर्श व सहमति से समाधान किया जाये। इसका यह प्रयोजन था कि सामान्यता कर्मचारियों का उक्त प्रकार की समस्याओं का समय से निवारण हो जायेगा।

इस विषय को गम्भीरता से लेते हुए, सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पुनः आदेश दिये जाते हैं कि वे डिपो स्तर पर, प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार तथा क्षेत्रीय स्तर पर, प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों से वार्ता करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त निर्धारित दिवसों में अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस में बैठक आयोजित की जाय। इन आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और प्रत्येक माह को बैठक की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रधान प्रबन्धक(श्रम कल्याण), परिवहन निगम मुख्यालय को भी भेजना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है कि कई स्थानों पर, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, कर्मचारी नेता होने के नाते विभागीय कार्य नहीं करते है। किसी भी कर्मचारी प्रतिनिधि अथवा कर्मचारी को अनावश्यक व बिना किसी उचित व नैतिक कारण के कार्य न करने को अथवा अन्यथा कोई छूट देना अनुचित एवं पक्षपात पूर्ण होगा। कृपया सम्बन्धित अधिकारी, इसे कड़ाई से देखें और यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रकार की कोई भी छूट औचित्यपूर्ण, स्पष्ट, निष्पक्ष व न्यायसंगत हो।

आपसे अपेक्षा है कि आप उपरोक्त बिन्दुओं का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करेगें और इसकी भावना व उद्देश्यों को भली–भांति समझेगें। यदि उक्त बिन्दुओं पर आपके स्तर पर कार्यवाही निरन्तर की जाती रहेगी तो कर्मचारियों के अधिकाधिक व्यक्तिगत व सामूहिक मामलों का भी समय रहते निस्तारण होता रहेगा और कर्मचारियों के संगठनों को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इससे औद्योगिक संबंध और औद्योगिक वातावरण को भी बेहतर बनाने में काफी सहायता मिलेगी जो निगम को लाभकारी बनाने में काफी सहायक सिद्ध होगी व सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अधिकाधिक पारस्परिक सहयोग के साथ अपने उत्तरदायित्वों को निभायेगें।

ह०
(आलोक कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक / समदिनांकित

प्रतिलिपिः–1. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन / संचालन / प्राविधिक), निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. प्रधान प्रबन्धक(के0का0 / डा0रा0म0लो0का0),कानपुर।
5. प्रबन्धक(कार सेक्शन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. गार्ड पत्रावली।

(जे0एन0सिन्हा)
प्रधान प्रबन्धक(श्र0क0)

Downloaded from www.upsrtc.com